

18.10.2023—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी एव प्रतिवादी अनुपस्थित। वादी एव प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।





सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़